बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0–भेटनरी कॉलेज, पटना–14

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के अन्तर्गत मिश्रक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या.12010116 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि–12.06.2016

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कारा एवं सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के अन्तर्गत मिश्रक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

वेतनमान–5200–20200/–ग्रेड–पे–2800/–

रिक्तियों की संख्याः– 70 (सत्तर)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
12	01	13	08	02	34

उपर्युक्त रिक्तियों औपबंधिक है, जो घट–बढ़ सकती है ।

न्यनतम शैक्षणिक योग्यताः–

आई0एस0सी0 उर्त्तीण या समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

आवश्यक तकनीकी योग्यताः–

अभ्यर्थी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से "डिप्लोमा इन फार्मेसी" की परीक्षा अवश्य उर्त्तीण हो । अभ्यर्थी बिहार फार्मेसी काउन्सिल/भारतीय फार्मेसी काउन्सिल से अनिवार्यतः पंजीकृत हो । फार्मेसी में स्नातक या स्नातकोत्तर भी इसके पात्र हो सकेंगें, किन्तु उन्हें इस हेतु कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी ।

प्रतियोगिता परीक्षा का विषयः–सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा । लिखित परीक्षा दो विषयों की होगी । एक पत्र सामान्य ज्ञान का और दूसरा पत्र डिप्लोमा–इन फार्मेसी स्तर का होगा । प्रत्येक विषय में 100–100 अंक होंगे । लिखित परीक्षा का पूर्णांक 85 प्रतिशत अंक का तथा साक्षात्कार का पूर्णांक 15 प्रतिशत अंक का होगा । लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिये जायेगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जायेंगे । लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी । लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक –2374 दिनांक–16.07.2007 प्रभावी माना जाएगा ।

मेधा सूचीः– लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़कर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

क्वालीफाइंग मार्क्सः–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अलग–अलग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैः–

सामान्य वर्ग	–	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	–	34 प्रतिशत
अनु0जाति/जनजाति	–	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	–	32 प्रतिशत

उम्र सीमा–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या–2530, दिनांक–29.06.2010 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2013 के आधार पर की जाएगी ।

(1) आयु न्यूनतमः– 18 (अठ्ठारह) वर्ष । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार अधिकतम–(1) अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में विकलागों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

<u>परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार होंगें :–</u>

(क) सामान्य /पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी–750 रूपये ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)–200 रूपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु –750 रूपये ।

उपरोक्त राशि के अलावा बैंक कमीशन अभ्यर्थियों को अलग से देना होगा ।

अभ्यर्थी Online Registration करने के पश्चात् SBI I collet/challan के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में / ऑनलाइन परीक्षा शुल्क दिनांक–13.05.2016 से 10.06.2016 वक समर्पित करेंगें । अन्य किसी भी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा । बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने का साक्ष्य अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगें, जो आयोग के द्वारा माँग किए जाने पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगें ।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाऐंगें, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होगें ।

<u>आरक्षणः–</u>

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–70, दिनांक–11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण–पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये जानेवाला क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि के एक वर्ष के अन्दर निर्गत होना चाहिए ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–13185, दिनांक–03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वंतत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती, नाती/नतनी को राज्य सरकार के सेवाओं में नियुक्ति में 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होगें, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा ।

<u>अन्यः</u>– (i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा–पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् **Submit** करने से पूर्वउसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

<u>अंतिम तिथिः</u>– ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक–13.05.2016 से 12.06.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

6/5/16

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।